(46)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमाकं / 2017 निगरानी

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2017/4727

1. मोहनलाल पुत्र अनंदी लुहार
2. धरमीबाई पत्नी मोहनलाल

निवासी– बडागांव खुर्द तहसील व जिला टीकमगढ़, म.प्र.

.........आवेदकगण

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर
जिला टीकमगढ

.... अनावेदक

श्री विनोद दीक्षित एड. द्वारा आज दि. 28-11-017 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 28-11-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पं.दि. 6-12-17

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल टीकमगढ जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 93/अ-12/2016 – 17 में पारित आदेश दिनांक 28.7.2017 के विरूद्ध निगरानी</u>

महोदय,

निवेदन है किः–

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा बडा खुर्द गांव स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1250 रकवा 1.906 , सर्वे . 1251 हेक्टर रकवा 0.247 हे. , सर्वे क्रमांक 1255/1/2 रकवा 0.275 हे. , सर्वे क्रमांक 1252/ 2 रकवा 0.405 हे. सर्वे क्रमांक 1255/1/3 मिन रकवा 0.202 हे. कुल किता 5 का सीमाकंन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 6.7.2017 को मशीन द्वारा सीमाकंन किया गया किन्तु राजस्व निरीक्षण द्वारा आवेदिका मांक 2 के नाम सर्वे क्रमांक 1255/ 1/3 मिन 21 रकवा 0.202 हे.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/4727 **जिला** – टीकमगढ

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07.12.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण सीमांकन का है। आलोच्य आदेश के साथ संलग्न सीमांकन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सीमांकन की कार्यवाही सरहदी काश्तकारों एवं पुलिसबल की उपस्थिति में ईटीएस मशीन व जरीब एवं अन्य पैमाइशी यंत्रों की सहायता से की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही को अवैधानिक नहीं माना जा सकता। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	